न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

संख्याः 98/2020/दावा 136 एलआरएक्ट
अनिल कुमार उर्फ सुनील कुमार पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी नोसाल (राजपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। — प्रतिवादी

दावा बाबत उद्‌घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—
1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील वादी की ओर सें।

दिनांक — 09.02.2021

नि र्ण य

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 629 किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 व खसरा नम्बर 481, 482, 483, 486, 487, 488/696, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 530, 531, 532, 533 किता 17 कुल रकबा 5.64 है0 व खसरा नम्बर 529 किता 1 कुल रकबा 0.06 है0 व खसरा नम्बर 498/701 किता 1 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम नोसाल पटवार हल्का कांकरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। उक्त खातेदारी वादी के नाम सुनील कुमार पुत्र देवाराम के नाम से दर्ज है। वादी को नामो से जाना पहचाना जाता है। वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सुनील कुमार नाम दर्ज है व पहचान के सभी दस्तोवज जैसे मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक डायरी आदि में वादी का नाम अनिल कुमार पुत्र देवाराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम अनिल कुमार पुत्र देवाराम की जगह सुनील कुमार पुत्र देवाराम दर्ज हो गया है जो गलत है सुनील कुमार पुत्र देवाराम की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम अनिल कुमार उर्फ सुनील कुमार पुत्र देवाराम उद्‌घोषित किजा जाकर रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 629 किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 व खसरा नम्बर 481, 482, 483, 486, 487, 488/696, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 530, 531, 532, 533 किता 17 कुल रकबा 5.64 है0 व खसरा नम्बर 529 किता 1 कुल रकबा 0.06 है0 व खसरा नम्बर 498/701 किता 1 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम नोसाल पटवार हल्का कांकरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम सुनील पुत्र देवाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम सुनील उर्फ अनिल पुत्र देवाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

[illegible] पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी [illegible] किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। [illegible] बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने [illegible] निवेदन किया कि वादी की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज नाम सुनील पुत्र देवाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम सुनील उर्फ अनिल पुत्र देवाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किया जावे।

2. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी का तर्क सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम [illegible] की जमाबंदी खसरा नम्बर 629, 481 से 483, 486, 487, 488, [illegible] 494 से 500, 530 से 533 व 529 में प्रार्थी का नाम सुनील कुमार दर्ज है। प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेजात में अनिल कुमार नाम दर्ज है [illegible] द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का नाम वास्तविक अनिल कुमार पुत्र देवाराम जाति जाट है [illegible] सुनील कुमार पुत्र देवाराम दर्ज हो गया था जो गलत दर्ज है। आवेदक का नाम सुनील कुमार पुत्र देवाराम के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र देवाराम जाति जाट किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 629 किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 व खसरा नम्बर 481, 482, 483, 486, 487, 488/696, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 530, 531, 532, 533 किता 17 कुल रकबा 5.64 है0 व खसरा नम्बर 529 किता 1 कुल रकबा 0.06 है0 व खसरा नम्बर 498/701 किता 1 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम नीमाल पटवार हल्का काकरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम सुनिल पुत्र देवाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम सुनिल उर्फ अनिल पुत्र देवाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

([illegible])

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

अनिलकुमार बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 09.02.2021

मुकदमा नं0 98 / दावा सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री बन्शीधर बाज्या** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 629 किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 व खसरा नम्बर 481, 482, 483, 486, 487, 488 / 696, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 530, 531, 532, 533 किता 17 कुल रकबा 5.64 है0 व खसरा नम्बर 529 किता 1 कुल रकबा 0.06 है0 व खसरा नम्बर 498 / 701 किता 1 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम नोसाल पटवार हल्का कांकरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी का नाम सुनिल पुत्र देवाराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सुनिल उर्फ अनिल पुत्र देवाराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2021 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

मोहर

	रुपया	पैसे	मुद्दालेह	रुपया	पैसे
[illegible]दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
[illegible]कालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
[illegible] तलबाना	—	—	मेहनताना वकील पर		
[illegible]ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट — इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ